



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - ~~उन्नाव~~.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 272/25

दापर दिनांक 27/09/2025

निर्णय दिनांक 27/09/2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कपासन
1	<del>उन्नाव</del>	158	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर प्रिक्खर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंभा स्वीकार की जाकर राज.भू.सं.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम ..... प.ह. ....</p> <p>खातासं .....</p> <p>में वर्तमान प्रविष्टि बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर</p> <p>(उपखण्ड अधिकारी)</p>

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

वहसीलदार कपासन